सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–1808 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक–02–04–2026

सेवा में,

प्रचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 571 / 2024 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22–01–2026 के अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11–02–2026 के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–493 / सत्तर–3–2026 दिनांक 01–04–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा शासन के पत्र के क्रम में उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 571 / 2024 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22–01–2026 के अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11–02–2026 का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है।

2. उक्त बैठक में निम्न बिन्दु पर मत स्थिर किया गया है :–

''उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को निर्देश निर्गत किये जाएंगे, जिससे संस्थानों में अध्ययनरत एवं इच्छुक छात्रों को भी अभियान से जोड़ा जाये। संस्थानों द्वारा उक्त कार्य को छात्रों के लिए ''इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क'' के रूप में मान्यता दिया जाना समीचीन होगा जिससे वे प्रोत्साहित हो सके और मनोयोग से कार्य करें। साथ ही एन0एस0एस0 को इस अभियान से जोड़ने हेतु उच्च विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।''

अतः प्रस्तर 2 में उल्लिखित उक्त बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

02/04/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– / तददिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या-493/सत्तर-1-2026

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. प्राचार्य,
समस्त विधि महाविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 — लखनऊ : दिनांक: 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2026

विषयः- उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 571/2024 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन के संबंध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11.02.2026 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-1245615/60-1099/299/2024 दिनांक 20.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 571/2024 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन के संबंध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11.02.2026 का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है।

2- उक्त बैठक में निम्न बिन्दु पर मत स्थिर किया गया है:-

'' उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को निर्देश निर्गत किए जाएंगे, जिससे संस्थानों में अध्ययनरत् एवं इच्छुक छात्र को भी अभियान से जोड़ा जाये। संस्थानों द्वारा उक्त कार्य को छात्रों के लिए "इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क" के रूप में मान्यता दिया जाना समीचीन होगा जिससे वे प्रोत्साहित हो सकें और मनोयोग से कार्य करें। साथ ही एन०एस०एस० को इस अभियान से जोड़ने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे। (कार्यवाही-उच्च शिक्षा विभाग)। ''

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तर 2 में उल्लिखित उक्त बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 30-03-2026
19:40:08

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को इस अनुरोध के साथ उक्त पत्र की प्रति अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विधि महाविद्यालयों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- विशेष कार्याधिकारी, एन0एस0एस0-सेल, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महिला अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके उक्त पत्र दिनांक 20.02.2026 के संदर्भ में।

आज्ञा से

Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Date: 01-04-2026
12:29:17

(संजय कुमार द्विवेदी)
अनुसचिव

संख्या....../VIPPSHED/2026
दिनांक......

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित पी०आई०एल० संख्या-571/2024 ज्योति राजपूत बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन के संबंध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2026 को अपराह्न 03.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक की उपस्थिति:-

1. श्रीमती लीना जौहरी, अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय, सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री सुशील कुमार, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्री यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. डा० वन्दना वर्मा, निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
6. श्री चन्द्र शेखर मिश्र, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7. श्री सन्दीप परमार, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8. श्री संजय कुमार तिवारी, अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
9. श्री जय सिंह, अनु सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
10. प्रोफेसर रश्मि बिश्नोई, प्रचार्या, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, राजकीय गर्ल्स पी०जी० कॉलेज, अलीगंज, लखनऊ (उच्च शिक्षा विभाग)।
11. सुश्री भावना मिश्रा, रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. डा० (मेजर) चन्द्र शेखर बाजपेई, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
13. श्री शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
14. श्री शेषा नन्द तिवारी, निजी सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
15. श्री प्रशान्त एच मेरवाडे, युवा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, एन०एस०एस०, लखनऊ।
16. श्री आर०पी० सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
17. श्री संजय उपाध्याय, उप निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
18. श्री अमर जीत सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
19. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
20. श्री आशीष सिंह, सहायक आचार्य, कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
21. श्री पार्थ प्रतीम, महिला, ए०ओ०, एन०सी०सी० निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
22. श्री ललित देवड़ा, सहायक अनुभाग अधिकारी, माय भारत
23. श्री संजय प्रताप सिंह, विज्ञान फाउण्डेशन, लखनऊ।
24. श्री शरद पटेल, कार्यकारी निदेशक, बदलाव, लखनऊ।
25. श्री जितेन्द्र मौर्य, परियोजना समन्वयक, विज्ञान फाउण्डेशन, लखनऊ।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित पी०आई०एल० संख्या-571/2024 ज्योति राजपूत बनाम उ०प्र० राज्य एवं

अन्य में दिनांक 22.01.2026 को पारित आदेश के क्रम में कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वासन के संबंध में दिनांक 23.02.2026 तक एक ठोस और व्यवहारिक "रोडमैप" मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से आवश्यक रणनीति तैयार किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उपरोक्त के क्रम में बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा आवश्यक रणनीति तैयार किये जाने हेतु निम्नवत् विचार विमर्श किया गया:-

- मा0 न्यायालय द्वारा पी0आई0एल0 संख्या-571/2024 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में सड़कों/फुटपाथों पर लावारिस रूप में जीवन-यापन कर रहे 'बेघर व्यक्तियों', 'मानसिक रूप से बीमार बेघर व्यक्तियों', 'मानसिक रूप से मंदबुद्धि बेघर व्यक्तियों' तथा 'दिव्यांग बेघर व्यक्तियों' की देखभाल और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गये हैं। उक्त में भिक्षावृति में शामिल व्यक्ति भी हैं।
- उक्त श्रेणी में शामिल व्यक्तियों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मौजूद हैं। साथ ही शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल संबंधी योजना यथा-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी संचालित है।
- इसके अतिरिक्त राज्य में उत्तर प्रदेश भिक्षावृति निषेध अधिनियम, 1975 भिक्षा माँगने को दंडनीय अपराध घोषित करते हुये पुलिस को बिना वारंट भिक्षुकों को गिरफ्तार करने और उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रमाणित संस्थानों में भिक्षुकों को निरुद्ध करने, प्रशिक्षण देने और उनका पुनर्वास करने पर केंद्रित है तथा दूसरों से भिक्षा मंगवाने के उद्देश्य से उन्हें नियोजित करने पर दंड का प्रावधान करता है। प्रदेश में उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 उक्त श्रेणी में उल्लिखित व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।
- जिस स्थानीय पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, उस क्षेत्र की पुलिस मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 100 के अनुसार इन बेघर व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार करेगी और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त ऐसा सुनिश्चित करायेंगे।
- माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को गठित 11 सदस्यीय जिला स्तरीय रेस्क्यू टास्क फोर्स अपने वर्तमान स्वरूप में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिला स्तर पर अधिकारी अपनी नियमित प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण निरंतर पहचान अभियान नहीं चला पा रहे हैं। लखनऊ जैसे जिले में भी यह अभियान पंद्रह दिनों में केवल एक बार ही हो पा रहा है, जो न्यायालय की दृष्टि में अपर्याप्त है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरांत मा0 न्यायालय की अपेक्षा अनुसार रेस्क्यू अभियान को और प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से तथा चिन्हित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में उपस्थित विभागों की सहमति से निम्नवत निर्णय

लिये गये:-

- चिन्हांकन अभियान को मूर्त रूप देने हेतु "निराश्रित व्यक्तियों के चिन्हांकन हेतु जिला स्तरीय समिति" बनायी जायेगी। समिति निम्नानुसार होगी:-
- जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी नामित होंगे।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित 01 विधि स्वयंसेवक (पी0एल0वी0)।
- जिला बार एसोशिएसन के माध्यम से नामित स्वप्रेरणा से लोक हितैषी कार्य करने वाला 01 अधिवक्ता।
- नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से 01 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक।
- जनपद स्तर पर उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित 01 एन0एस0एस0 स्वयंसेवक।
- जनपद स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा नामित 01 स्वयंसेवक।
- जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा नामित 01 कार्मिक।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित 01 कार्मिक।
- जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा नामित 01 कार्मिक।
- सहायक श्रम आयुक्त द्वारा नामित 01 कार्मिक।
- जनपद स्तर पर संबंधित विषय पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था का 01 प्रतिनिधि।
- समिति द्वारा शहर के मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों के आसपास, पर्यटन स्थलों, अस्पतालों, रेलवे परिसरों, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, मुख्य बाजारों सहित अन्य हॉट-स्पॉट पर ऐसे बेघर व्यक्तियों सहित मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं असहाय, अकेले व्यक्तियों (महिला, पुरूष, बच्चे तथा थर्ड जेन्डर) का चिन्हांकन किया जायेगा तथा उसकी लिखित सूचना प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को 11 सदस्यीय जिला स्तरीय रेस्क्यू टॉस्क फोर्स को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के स्तर पर पुनर्वास से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं तथा सुविधाओं की रिसोर्स डायरेक्टरी विकसित की जायेगी।
- नोडल अधिकारी कार्यालय में ही रेस्क्यू अभियान का डाटा एकत्रित करने, डाटा को डिजिटाइज़ करने एवं सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों (महिला, पुरूष तथा थर्ड जेन्डर) के आश्रय की आवश्यकता उत्पन्न होने की स्थिति में उनके संबंधित आश्रय गृहों/चिकित्सा परिचर्या गृहों में आवासित करने/चिकित्सीय लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश संबंधित व्यवहरित अधिनियमों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अथवा उस व्यक्ति के मिलने के स्थान से संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट (शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट/पुलिस कमिश्नरेट वाले शहरों में सहायक पुलिस आयुक्त तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(कार्यवाही-समाज कल्याण विभाग/महिला कल्याण विभाग/दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)।

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को निर्देश निर्गत किए जाएंगे, जिससे संस्थानों में अध्ययनरत् एवं इच्छुक छात्रों को भी अभियान से जोड़ा जाये। संस्थानों द्वारा उक्त कार्य को छात्रों के लिए ''इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क'' के रूप में मान्यता दिया जाना समीचीन होगा जिससे वे प्रोत्साहित हो सकें और मनोयोग से कार्य करें। साथ ही एन0एस0एस0 को इस अभियान से जोड़ने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(कार्यवाही-उच्च शिक्षा विभाग)।

- एन0सी0सी0 को इस अभियान से जोड़ने हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य हेडक्वाटर से पृथक रूप से अनुरोध किया जायेगा।

(कार्यवाही-महिला कल्याण विभाग)।

- राज्य विधिक सेवा प्रधिकारण द्वारा उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीगल ऐड क्लीनिक्स् (Legal Aid Clinics) को सक्रिय करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(कार्यवाही-राज्य विधिक सेवा प्रधिकारण)।

- शासन द्वारा पूर्व में गठित 11 सदस्यीय जिला स्तरीय रेस्क्यू टास्क फोर्स रेस्क्यू अभियान की निगरानी हेतु सतत् समीक्षा बैठकें कर आवश्यक कदम उठायेंगी।
- मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गई है कि निराश्रित व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने हेतु कम से कम 4 हेल्पलाइन शुरू की जायें। उपरोक्त के क्रम में व्यवहारिकता के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याण साथी हेल्पलाइन-14568 तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन-181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 का ही व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे आम नागरिक कहीं भी ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को देखकर संबंधित हेल्पलाइन पर सूचना दे सकें।

(कार्यवाही-समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग)।

- वृद्ध आश्रम के साथ-साथ बाल गृहों को भी संचालित कराया जाय ताकि बच्चों को भी दादा-दादी/नाना-नानी जैसा स्नेह मिल सके और वृद्ध लोगों को भी बच्चों से लगाव हो सके और उनको अपने परिवार की कमी महसूस न हो।

(कार्यवाही-समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग)।

- प्रदेश स्तर पर महिला कल्याण विभाग के नेतृत्व में कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले निराश्रित, असहाय व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं को संकलित कर समस्त जनपदों को प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर महिला कल्याण निदेशालय को अपने विभाग की योजनाओं की हस्ताक्षरित प्रति तथा एक्सेल शीट (सॉफ्ट कॉपी) ईमेल के माध्यम से probationmahilakalyan@gmail.com पर दिनांक 28 फरवरी, 2026 से पूर्व प्रेषित की जायेगी।

क्र0	योजना का नाम	पात्रता	आर्थिक लाभ	अन्य लाभ	आवेदन कैसे और कहाँ करें	आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख
1	2	3	4	5	6	7

- जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रेस्क्यू किये गये व्यक्तियों की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकतायें यथा-आश्रय, भोजन, चिकित्सा, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका के साधन इत्यादि संबंधित विभागों के माध्यम से पूरी की जाए जिससे वह पुनः निराश्रित की स्थिति में वापस न आयें।

(कार्यवाही-टॉस्क फोर्स से संबंधित समस्त विभाग)।

- जहाँ किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि के निम्न स्तर से चिह्नित होती है। हालांकि, मानसिक मंदता संभवतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आती है, इसलिए इस मामले में उक्त अधिनियम लागू होगा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 2(उ) में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के संबंध में, मनोचिकित्सक या चिकित्सा व्यवसायी जो उस समय उस मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का प्रभारी हो। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे मनोचिकित्सकों की उपलब्धता नगण्य है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(कार्यवाही-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का अध्याय X मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों से संबंधित है। उक्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजन से, उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 100 (5) के सन्दर्भ में जिलावार कितने मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का अध्याय Vi कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 29 के अनुसार, उपयुक्त सरकार (Appropriate Government) का यह कर्तव्य होगा कि वह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोकथाम के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाए, उन्हें तैयार करें और उन्हें लागू किया जायेगा।

(कार्यवाही-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत चिन्हित व्यक्तियों को शहरी बेघरों के लिए आश्रयों की योजना और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से लाभान्वित कराया जाये। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कुछ परिचालित दिशा-निर्देशों के बारे में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)।

- जिस स्थानीय पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, उस क्षेत्र की पुलिस मानसिक

स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 100 के अनुसार इन बेघर व्यक्तियों से व्यवहार करते समय उनके साथ मानवीय व्यवहार करेगी और इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही-पुलिस विभाग)।

- जनपद स्तर पर नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम द्वारा सघन अभियान चलाकर कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले निराश्रित, असहाय व्यक्तियों/महिलाओं एवं बच्चों का चिन्ह्यंकन किया जायेगा, जिसकी सूचना "निराश्रित व्यक्तियों के चिन्ह्यंकन हेतु जिला स्तरीय समिति" को दी जायेगी।

(कार्यवाही-नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)।

- चिन्हित व्यक्तियों/महिलाओं एवं बच्चों को कानूनी सहायता क्लीनिक (Legal Aid Clinics) के अन्तर्गत वकीलों और कानून के जानकारों की मदद उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालयों (जैसे डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय/लखनऊ विश्वविद्यालय) में चल रहे लीगल एड क्लीनिक को सक्रिय किया जाये।

(कार्यवाही-कुलपति डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ/लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)।

बैठक सधन्यवाद् संपन्न हुई।

Digitally signed by
LEENA JOHRI
Date: 20-02-2026
10:14:35

(लीना जौहरी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्याः-1245615/60-1099/299/2024
लखनऊ::दिनांक 20, फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/समाज कल्याण/दिव्यांजन सशक्तिकरण/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/नगर विकास/नागरिक सुरक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. कुल सचिव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ/लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. राज्य निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, उ०प्र० लखनऊ।

9. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अपर महानिदेशक, निदेशालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0), उ0प्र0, लखनऊ।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: [illegible]
12:10:59

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।